कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 26.05.2026

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी का माल बरामद।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.05.2026 को वादी मो0 शादाब पुत्र पीरबक्स निवासी तुराबली का पुरवा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा सूचना दी गई कि वादी आरटीओ ऑफिस हाईवे के पास अलमारी बनाने का कारखाना चलाते हैं। प्रार्थी दिनांक 23.05.2026 को अपना कारखाना बंद करके अपने घर चला गया था। वादी के अनुसार दिनांक 24.05.2026 को सुबह 08.00 बजे कारखाना खोला तो देखा कि कारखाने का पिछला दरवाजा खुला हुआ व सामान बिखरा था। वादी के अनुसार कारखाने से अज्ञात चोरों द्वारा एक इलेक्ट्रानिक मोटर, फर्राटा पंखा, दो बैटरी, लगभग 11-12 कुंतल लोहे की चादर, एक साउण्ड सिस्टम व औजार चोरी कर लिए गए। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 215/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 26.05.2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 215/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस से संबंधित चोरी की घटना में संलिप्त एक अभियुक्त रहमत पुत्र रफीक उम्र करीब 42 बर्ष निवासी ठकुरन गढेवा (गढेवा) थाना रूरा जनपद कानपुर देहात हालपता आरटीओ आफिस के पीछे कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर को चोरी के माल एक फर्राटा पंखा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई तथा गिरफ्तार अभियुक्त रहमत उपरोक्त को आज दिनांक 26.05.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रहमत उपरोक्त द्वारा चोरी की घटना में 02 अन्य अभियुक्तों 1.मुन्साद पुत्र मुन्ना मियां निवासी शेखपुरउनवा थाना कोतवाली नगर 2.पिन्टू यादव पुत्र राजकिशोर निवासी मैकू का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर के नाम प्रकाश में आए हैं। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी गए माल एवं प्रकाश में आए अभियुक्तों की बरामदगी/गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त रहमत उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथियों मुन्साद पुत्र मुन्ना मियां निवासी शेखपुर उनवा, थाना कोतवाली नगर तथा पिन्टू यादव पुत्र राजकिशोर निवासी मैकू का पुरवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद फतेहपुर के साथ मिलकर आरटीओ ऑफिस के पास स्थित आलमारी कारखाने के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे थे। वहां से कम्प्रेशर मशीन की इलेक्ट्रिक मोटर, फर्राटा पंखा, बैटरी, साउंड सिस्टम तथा अलमारी बनाने के औजार चोरी किए गए थे। अभियुक्त ने बताया कि चोरी का अधिकांश सामान मुन्साद एवं पिन्टू यादव के पास है। उसे केवल एक पंखा मिला था, जो बरामद हो चुका है। शेष सामान बेचने के बाद प्राप्त धनराशि आपस में बराबर बांटने की बात तय की गई थी।

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समय:-

पोस्टमार्टम हाउस प्रतीक्षालय के पास से, दिनांक 26.05.2026 को समय करीब 00.58 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रहमत पुत्र रफीक उम्र करीब 42 बर्ष निवासी ठकुरन गढेवा (गढेवा) थाना रूरा जनपद कानपुर देहात हाल पता आरटीओ ऑफिस के पीछे कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर ।

बरामदगी-

एक फर्राटा पंखा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हेमन्त कुमार मिश्र थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 सुमित नारायण
3. आरक्षी आशीष कुमार
4. आरक्षी अमित कुमार
5. आरक्षी तेजेन्द्र पाल